GCMS - 2021/85

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर

बअदालत :– भागीरथ शाख आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 64/2021

1. अजय कुमार, राजेश कुमार पुत्र जोगेन्द्र कुमार नाई निवासी लूनकरनसर ।

– प्रार्थी –

–बनाम–

2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लूनकरनसर

– अप्रार्थी –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरए एवं आवंटन नियम 1975 के

नियम 17(4)

दिनांक :– 24-03-2021

–:निर्णयः–

संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने तहसीलदार लूनकरनसर के समक्ष प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के नाम से चक 269–600 आरडी के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के मु.नं. 50/33 के किला नम्बर 1/2 में 1.00 बीघा किला नम्बर 2 में 1.00 बीघा कुल 2.00 बीघा कमाण्ड, किला नम्बर 9/1 –0, 10/1/0–18, 11/2/0–18, 12/1–0, 19/1–0, 20/1/0–18, 21/1/0–18, 22/1–0 कुल 7–12 अनकमाण्ड खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड हैं। प्रार्थीगण सीएडी प्रमाण पत्र के अनुसार कमाण्ड अनकमाण्ड दुरूस्त करवाना चाहते है। मुताबिक रिपो[illegible]लदार प्रार्थीगण के नाम से चक 269–600 आरडी के मु.न. 50/33 के [illegible] 0.18 [illegible]माण्ड, 2/1.0 कमाण्ड, 9/1.0 अ.कमाण्ड, 10/0.18 अ.कमाण्ड, 11/0.18 अ.कमाण्ड, [illegible]1.0 अ.कमाण्ड, 19/1.0अ.कमाण्ड, 20/0.18, 21/0.18, 22/1.0 अ. कमाण्ड, अजय कुमार राजेश कुमार पि0 ज[illegible] कुमार जाति नाई साकिन लूनकरनसर के नाम खातेदारी दर्ज [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.07.29 11:34:35 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

रिपोर्ट सिंचाई विभाग के प्रमाण पत्र कमांक 2793 दिनांक 16.02.2018 अनुसार वर्ष 1976—77 में चक 269 (सीधे मोघे) के मु.नं. 50/33 के किला नम्बर 1 में 0.18 बीघा , 2 में 1 बीघा, 9में 1 बीघा, 10 में 0.18 बीघा, 11में 0.18 बीघा, 12में 0.15 बीघा, 20 में 0.18 बीघा कुल 5.17 बीघा कमाण्ड घोषित किया गया हैं। सेल रजिस्टर में खाता नहीं हैं। उक्त भूमि संवत् 2012 की खातेदारी खरीदशुदा है। अतः उक्त किला नम्बर 9में 1 बीघा, 10 में 0.18 बीघा, 11में 0.18 बीघा, 12में 0.15 बीघा, 20 में 0.18 बीघा कुल 3.19 बीघा कमाण्ड दर्ज करने के प्रस्ताव तहसीलदार लूनकरनसर से प्राप्त हुए हैं।

इस प्रकार तहसीलदार लूनकरनसर से प्राप्त रिपोर्ट खातेदारी सनद् की छायाप्रति एवं सिंचाई विभाग के प्रमाण पत्र की छाया प्रति अनुसार प्रार्थीगण अजय कुमार, राजेश कुमार पुत्र जोगेन्द्र कुमार नाम से चक 269—600 आरडी के मु.नं. 50/33 के किला नम्बर 9में 1 बीघा, 10 में 0.18 बीघा, 11में 0.18 बीघा, 12में 0.15 बीघा, 20 में 0.18 बीघा कुल 3.19 बीघा कमाण्ड घोषित की गई हैं जो खातेदारी खरीदशुदा है जिस पर अन्तर राशि देय नहीं हैं । उक्त अनकमाण्ड से कमाण्ड घोषित भूमि का राजस्व रिकार्ड में अनकमाण्ड से कमाण्ड दर्ज करने के आदेश पारित किये जाते हैं। इस आदेश की प्रमाणित प्रति पालनार्थ तहसीलदार लूनकरनसर को प्रेषित हो। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर निर्णय में शुमार हो।

आदेश आज दिनांक .24-03-2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर
लूनरकरनसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.07.29 11:34:35 IST
Reason: SelfAttested